

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

कोरबा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।
कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./3488/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 24/11/2016

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- रिवेन्यु वन/ वन भूमि परिक्षेत्रांतर्गत सड़क समानांतर 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु
आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./रिलिइलि/आफाके/वनभूमि/2016-17 रायपुर दिनांक 01.08.2016

—0000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य बाबत लोक निर्माण विभाग कोरबा से बताती के मध्य सड़क के समानांतर वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति/अनुमति प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है -

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर/कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	अन्य विवरण
1	कोरबा	डुमरडीह	OA1281	0.006	निरंक	वनभूमि
			P986	0.047	निरंक	वनभूमि
			P985	0.061	निरंक	वनभूमि
2	कोरबा	रजगामार	OA1265	0.108	निरंक	वनभूमि
			P979	0.037	निरंक	वनभूमि
3	कोरबा	कोरकोमा	P1006	0.075	निरंक	वनभूमि
			P1004	0.052	निरंक	वनभूमि
4	कोरबा	गेरांव/बताती	P1008	0.085	निरंक	वनभूमि
योग				0.471		
5	कोरबा	कोरकोमा	43/1	0.006	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			610	0.008		बड़े झाड़ के जंगल
			604/1 क	0.001		बड़े झाड़ के जंगल
			611/1 क	0.017		बड़े झाड़ के जंगल
			589/1	0.024		बड़े झाड़ के जंगल
			566	0.002		बड़े झाड़ के जंगल
			897	0.004		बड़े झाड़ के जंगल
			920	0.023		बड़े झाड़ के जंगल

//2//



6	कोरबा	ढेंगुरडीह	210	0.007	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
7	कोरबा	रजगामार	123/1 क	0.004	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
			175	0.011		बड़े झाड़ के जंगल
8	कोरबा	डुमरडीह	258/1	0.070	निरंक	बड़े झाड़ के जंगल
योग				0.177		
महायोग				0.648		

प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है और न ही वितरण हेतु लंबित है।

अतः ग्राम रजगामार, ढेंगुरडीह, कोरकोमा, गेरांव, बताती, डुमरडीह में वन भूमि रकबा 0.471 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि रकबा 0.177 हेक्टेयर कुल रकबा 0.648 हेक्टेयर भूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सक्षम विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. आष्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(पी. दयानन्द)

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा दिनांक 24 / 11 / 2016

पृ.क्र./3489/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

प्रतिलिपि:- 1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।

3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।

4. तहसीलदार कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)

